



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव ।

तीन अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र सन्त कुमार उम्र करीब 22 वर्ष 2. सन्त कुमार पुत्र सुकुरु उम्र करीब 45 वर्ष नि0गण ग्राम बिलौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव 3. रमेश पुत्र देवान उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम उतरौरा थाना असोहा जनपद उन्नाव के विरुद्ध 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

संक्षिप्त विवरण:- गैंग लीडर अभियुक्त सोनू पुत्र सन्त कुमार ग्राम बिलौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव का मूल निवासी है , जो एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसने अपने साथी सन्त कुमार पुत्र सुकुरु नि0 ग्राम बिलौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव व रमेश पुत्र देवान नि0 ग्राम उतरौरा थाना असोहा जनपद उन्नाव के साथ मिलकर थाना स्थानीय क्षेत्र में धोखाधड़ी एवं चोरी जैसे अपराध कारित किये हैं। वर्तमान में इस गैंग के तीनों सदस्य जिला कारागार उन्नाव में निरुद्ध है। इस गैंग का जनहित में स्वच्छंद रहना न्यायोचित नहीं है। गैंग की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 01.09.2021 को अभियुक्तगण . सोनू पुत्र सन्त कुमार उम्र करीब 22 वर्ष 2. सन्त कुमार पुत्र सुकुरु उम्र करीब 45 वर्ष नि0गण ग्राम बिलौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव 3. रमेश पुत्र देवान उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम उतरौरा थाना असोहा जनपद उन्नाव के विरुद्ध 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की गई है।

गैंग लीडर सोनू पुत्र सन्त कुमार ग्राम बिलौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 46/21 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भा0दं0वि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सीएस नं0 85/2021 दिनांक 28.06.2021
2. मु0अ0सं0 440/21 धारा 223/224 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव सीएस नं0 509/2021 दिनांक 16.07.2021
3. मु0अ0सं0 236/13 धारा 457/380/411 भा0दं0वि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सीएस नं0 38/2013 दिनांक 20.06.2021

गैंग सदस्य सन्त कुमार पुत्र सुकुरु नि0 ग्राम बिलौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 46/21 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भा0दं0वि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सीएस नं0 85/2021 दिनांक 28.06.2021
2. मु0अ0सं0 235/13 धारा 323/325 भा0दं0वि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सीएस नं0 39/2013 दिनांक 20.06.2021

गैंग सदस्य रमेश पुत्र देवान नि0 ग्राम उतरौरा थाना असोहा जनपद उन्नाव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 46/21 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भा0दं0वि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सीएस नं0 85/2021 दिनांक 28.06.2021



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना मांखी, जनपद उन्नाव ।

पत्नी की हत्या कर शव दफनाने वाले पति व चाचा गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या कर शव को दफनाने वाले पति अनिल पुत्र पुत्तन यादव उम्र करीब 38 वर्ष नि0गण ग्राम थानागाँव थाना माखी जनपद उन्नाव व उसके चाचा रामरतन पुत्र हनुमान उम्र करीब 52 वर्ष नि0गण ग्राम थानागाँव थाना माखी जनपद उन्नाव को मृतका की साड़ी, पेट्टीकोट, सिर का कंकाल एवं काले रंग की एटलस साईकिल, जो शव को ले जाने के लिए प्रयुक्त की गयी थी तथा फावड़ा जिससे मृतका के शव को गाड़ा गया था, बरामद कर गिरफ्तार किया गया।



संक्षिप्त विवरण:- वादिनी श्रीमती सरोज पत्नी सर्वेन्द्र निवासी ग्राम कुशलीखेड़ा मजरा भौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रा0पत्र दिया गया था कि मेरी पुत्री लक्ष्मी की शादी अनिल पुत्र पुत्तन यादव के साथ हुए 01 वर्ष हो गया है। पिछले 06 महीने से मेरा दामाद अनिल व उसका परिवार मेरी पुत्री से न तो मिलने देता है न ही बात करने देता है। जिसपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे। जाँच उपरान्त दिनांक 21.06.2021 को मु0अ0सं0 196/21 धारा 364 भादवि बनाम अनिल आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार को सुपुर्द की गयी थी। प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश सिंह की कुशल अगवाई में उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार मय हमराह फोर्स के द्वारा साक्ष्य

संकलन करते हुए दिनांक 03.09.2021 को अभि0गण 1. अनिल पुत्र पुत्तन यादव उम्र करीब 38 वर्ष 2. रामरतन पुत्र हनुमान उम्र करीब 52 वर्ष नि0गण ग्राम थानागांव थाना मांखी जनपद उन्नाव को समय करीब 16.10 बजे दोस्तीनगर नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर अभि0गण द्वारा अपने किये गये अपराध को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मुकदमा उपरोक्त की अपहृता लक्ष्मी की दिनांक 30.01.2021 को हत्या करके शव को एक साईकिल से बोरी में ले जाकर रामरतन के खेत में दफन कर दिया था। जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो पकड़े जाने के डर से शव, जो कि कंकाल में बदल चुका था, को निकालकर खेत के पास में पानी से भरी तलहटी में फेंक दिया था। अभि0गण की निशानदेही पर मृतका लक्ष्मी के कंकाल खोपड़ी व हत्या के समय पहने हुए कपड़ों को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पर वादिनी श्रीमती सरोज पत्नी सर्वेन्द्र व सर्वेन्द्र पुत्र रामाश्रय नि0गण ग्राम कुशलीखेड़ा मजरा भौली थाना अजगैन उन्नाव द्वारा बरामदशुदा कपड़े को पहचाना गया कि यह मेरी बेटी लक्ष्मी के कपड़े हैं। मौके पर फील्ड यूनिट टीम, फायर सर्विस गोताखोर टीम, डॉग स्कवायड द्वारा निरीक्षण किया गया तथा नायब तहसीलदार सदर आकांक्षा दीक्षित द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। अभि0गण द्वारा लक्ष्मी की हत्या कर शव को छिपाने व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को धारा 364 भादवि से 302/201 भादवि में तरमीम कर अभि0गण के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

अभि0गण का विवरण:-

1. अनिल पुत्र पुत्तन यादव उम्र करीब 38 वर्ष नि0गण ग्राम थानागांव थाना मांखी जनपद उन्नाव
2. रामरतन पुत्र हनुमान उम्र करीब 52 वर्ष नि0गण ग्राम थानागांव थाना मांखी जनपद उन्नाव

बरामदगी विवरण:- मृतका की साड़ी, पेटीकोट, सिर का कंकाल एवं साईकिल एटलस काला रंग जो शव को ले जाने के लिए प्रयुक्त की गयी थी तथा फावड़ा जिससे मृतका के शव को दफनाया गया था।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश सिंह
2. उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार
3. हे0का0 अलाउद्दीन
4. का0 जगमोहन सिंह
5. का0 रवि भारती
6. का0 सतेन्द्र कुमार
7. म0का0 निक्की
8. म0का0 पूजा निराला



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव ।

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंजके कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त रज्जन यादव पुत्र बबादीन नि० ग्राम पटकापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- वादिनी श्रीमती रामजानकी पत्नी श्री राम लखन गुप्ता नि० ग्राम शेखपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव द्वारा अपने पुत्र अमित गुप्ता के साथ मारपीट व गला कसकर हत्या कर देने की तहरीर के आधार पर थाना सोहरामऊ में मु०अ०स० 116/21 धारा 302/323/506 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण राजेश पुत्र बासदेव 2. सुमित पुत्र मंगलू नि० ग्राम शेखपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव 3. संदीप पुत्र रज्जन नि० पटकापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा आज दिनांक 04.09.2021 को अभियुक्त रज्जन यादव पुत्र बबादीन नि० ग्राम पटकापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा असोहा मोड़ कस्बा सोहरामऊ चौराहे से गिरफ्तार किया गया।



अभि० का विवरण:-

1. रज्जन यादव पुत्र बबादीन नि० ग्राम पटकापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

गिरफ्तार कर्ता:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश चन्द्र पाण्डेय
2. कां० योगेश कुमार



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।

जुंआ खेल रहे दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा जुंआ खेल रहे दो अभियुक्तों मालफड़ 1650 रु0, जामा तलाशी 350 रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 04.09.2021 को उ0नि0 अखिलेश कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा जुंआ खेल रहे दो अभियुक्तों 1. सर्वेश पुत्र महाबली लोध उम्र करीब 25 वर्ष नि0 डीह थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 2. नीरज मिश्रा पुत्र स्व0 प्रभाकर दत्त उम्र करीब 56 वर्ष नि0 ग्राम नौगवां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को मालफड़ 1650 रु0 , जामा तलाशी 350 रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अचलगंज में मु0अ0सं0 269/21 धारा 13 जुंआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभि0 का विवरण:-

1. सर्वेश पुत्र महाबली लोध उम्र करीब 25 वर्ष नि0 डीह थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
2. नीरज मिश्रा पुत्र स्व0 प्रभाकर दत्त उम्र करीब 56 वर्ष नि0 ग्राम नौगवां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण:-

1. मालफड़ 1650 रु0 , जामा तलाशी 350 रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तार कर्ता:-

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार
2. हे0का0 नरेन्द्र कुमार
3. हे0का0 अनिल कुमार
4. हे0का0 रमापति मिश्रा
5. का0 संदीप कुमार
6. का0 दीपचन्द्र



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 04.09.2021 को उ0नि0 मनोज कुमार सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बम्हना नहर के पास मिर्जापुर की तरफ सड़क के किनारे बैठे वारंटी 1. जब्बार अली पुत्र स्व0 अज्जन बेग 2. इस्तखार बेग उर्फ छुटक्के पुत्र स्व0 अज्जन बेग नि0गण ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव (मु0नं0 425/19 धारा 498ए/323/504/506 भा0दं0वि0 व ¾ डीपी एक्ट) को गिरफ्तार किया गया।



अभि0 का विवरण:-

1. जब्बार अली पुत्र स्व0 अज्जन बेग
2. इस्तखार बेग उर्फ छुटक्के पुत्र स्व0 अज्जन बेग नि0गण ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तार कर्ता:-

1. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह
2. हे0का0 सनत तिवारी
3. का0 राजकुमार सोनकर



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना दही, जनपद उन्नाव ।

2 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को 02 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किय गया।

संक्षिप्त विवरण:- जनपद उन्नाव के थाना दही क्षेत्र के महिन्द्रा एजेन्सी के पास शिवनगर से अभियुक्त गण द्वारा गांजा ले जाया जा रहा था। जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना दही पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्तगण को दिनांक 04.09.2021 समय रात्रि 01.15 बजे गिरफ्तार किय गया। अभियुक्त शिवपूजन पुत्र स्व0 अर्जुन गुप्ता नि0 मो0 वनबईटा कस्बा कुरसढ थाना आसीवन जनपद उन्नाव के पास से एक प्लास्टिक के सफेद झोला में अन्दर



रखी काले रंग की पन्नी में एक किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ तथा अभियुक्त प्रज्ञा रतन भारती पुत्र बलराज भारती नि0 राजेपुर थाना दही जनपद उन्नाव के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम नायाजय गांजा बरामद किया गया व अभियुक्तगण के पास से एक मो0सा0 मिली जिसका नं0 UP 35 C 5286 है, गाड़ी के कोई भी कागजात ना दिखा पाने के कारण उपरोक्त मो0सा0 को अन्तर्गत धारा 207mv Act में सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया। गांजा की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शिवपूजन उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 25/21 धारा 8/20 NDPS Act व अभियुक्त प्रज्ञारतन उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 26/21 धारा 8/20 NDPS Act के थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. शिवपूजन पुत्र अर्जुन गुप्ता नि0 बनवईटा कस्बा कुरसढ थान आसीवन जनपद उन्नाव उम्र-30बर्ष
2. प्रज्ञारतन भारती पुत्र बलराज भारती नि0 राजेपुर थाना दही उन्नाव उम्र -22 बर्ष

बरामदगी

1. एक अदद प्लास्टिक के झोले में रखी काली पन्नी में 1 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा
2. एक अदद प्लास्टिक के झोले में रखी काली पन्नी में 1 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 विनोद कुमार
2. उ0नि0 अखिलेश कुमार तिवारी
3. हे0का0 चन्द्रशेखर पाल
4. का0 कुन्दन यादव
5. का0 अर्जुनलाल



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना दही, जनपद उन्नाव ।

अवैध तमन्चों के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को दो अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- जनपद उन्नाव के थाना दही क्षेत्र के ग्राम ओरहर मोड़ के पास से अभियुक्तगण नाजायज असलहा के साथ खडे थे, जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना दही पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्तगण को दिनांक 04.09.2021 को गिरफ्तार किया गया 1.अभियुक्त अंकित कोरी पुत्र मुन्नीलाल कोरी नि0 कोरारी कला थाना मांखी जनपद उन्नाव के पास से एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर नाजायज



2. अभियुक्त अनिल राठौर पुत्र शिवप्रसाद राठौर नि0 कोरारी कला थाना मांखी जनपद उन्नाव के पास से एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर नाजायज बरामद हुआ । बरमादगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अंकित उपरोक्त व मु0अ0सं0 28/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अनिल राठौर उपरोक्त के पंजीकृत किया गया ।

नाम पता अभियुक्त

1. अंकित कोरी पुत्र मुन्नीलाल कोरी नि0 कोरारी कला थाना मांखी जनपद उन्नाव उम्र-23 वर्ष
2. अनिल राठौर पुत्र शिवप्रसाद राठौर नि0 कोरारी कला थाना मांखी जनपद उन्नाव उम्र -23 वर्ष

बरामदगी

1. दो अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 विनोद कुमार
2. उ0नि0 अखिलेश कुमार तिवारी
3. हे0का0 चन्द्रशेखर पाल
4. का0 कुन्दन यादव
5. का0 अर्जुनलाल



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव ।

मोबाइल लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 115/21 धारा 392 भा0दं0वि0 से संबन्धित अभियुक्त सुरेश लोध पुत्र दीपू लोध नि0 कीड़ीखेड़ा थाना खीरो जनपद रायबरेली उम्र करीब 19 वर्ष को लूटा गया मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 26.07.2021 को वादिनी गायत्री देवी के साइकिल से बाजार से घर जाते समय अज्ञात युवक द्वारा बजाज मोटरसाइकिल से आकर हाथ से मोबाइल छीन कर तेजी से भाग गया था। वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लूट से संबन्धित आनलाइन अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में सर्विलांस सेल के माध्यम से सुरेश लोध पुत्र दीपू लोध नि0 कीड़ीखेड़ा थाना खीरो जनपद रायबरेली का नं0 लूटे गये मोबाइल में उपयोग होना पाया गया। आज दिनांक 04.09.2021 को अभियुक्त सुरेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गई।



नाम पता अभियुक्त

1. सुरेश लोध पुत्र दीपू लोध नि0 कीड़ीखेड़ा थाना खीरो जनपद रायबरेली

बरामदगी

1. लूटा गया मोबाइल ओप्पो ए5 रंग नीला तथा घटना में प्रयुक्त होने वाली बजाज मोटरसाइकिल यूपी 35 वी 2579

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 आशुतोष मिश्रा
2. का0 विकास कमल
3. का0 दुष्यंत कुमार
4. हे0का0 अब्दुल जब्बार सर्विलांस सेल



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव ।

अवैध असलहों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्रों रखने वालों के विरुद्ध व उनके निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय पांच अदद जिंदा कारतूस, एक अदद अद्धी 315 बोर व एक अदद अवैध देशी बन्दूक 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 04.09.2021 को उ0नि0 थान सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर ठाकुरजी महाराज डिग्री कालेज के पास मोतीखेड़ा व जुराखनखेड़ा गांव की तरफ जाने वाली रोड के पास से अभियुक्त बिन्दा प्रसाद पुत्र बसन्त नि0 ग्राम भीखमपुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव को एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय पांच अदद जिंदा कारतूस, एक अदद अद्धी 315 बोर व एक अदद अवैध देशी बन्दूक 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 290/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।



नाम पता अभियुक्त

1. बिन्दा प्रसाद पुत्र बसन्त नि0 ग्राम भीखमपुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव

बरामदगी

1. एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय पांच अदद जिंदा कारतूस, एक अदद अद्धी 315 बोर व एक अदद अवैध देशी बन्दूक 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 थान सिंह
2. का0 हरिओम
3. का0 किशन सिंह



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 04.09.2021
थाना मौरावां, जनपद उन्नाव ।

अवैध अपमिश्रित शराब के साथ तीन गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव द्वारा जनपद में अपमिश्रित शराब/निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन रोकने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 04.09.2021 को थाना मौरावां पुलिस द्वारा अभियान के दौरान थाना मौरावां क्षेत्र के ग्राम चित्ता खेडा के पश्चिम जंगल में 03 अभियुक्तों को अवैध कच्ची शराब अपमिश्रित करते समय गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार 1. मु0अ0सं0 412/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 आईपीसी बनाम 1. राकेश पुत्र भगवानदीन पासी, 2. कल्लू पुत्र भगवानदीन पासी, 3. गुड्डू पुत्र भगवानदीन पासी नि0गण ग्राम चित्ता खेडा मजरा पारा थाना मौरावां उन्नाव पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगणों व उनके कब्जे से बरामद अपमिश्रित कच्ची शराब का विवरण निम्न है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण

1. राकेश पुत्र भगवानदीन पासी नि0 चित्ताखेडा मजरा पारा थाना मौरावां जनपद उन्नाव
2. कल्लू पुत्र भगवानदीन पासी नि0 चित्ताखेडा मजरा पारा थाना मौरावां जनपद उन्नाव
3. गुड्डू पुत्र भगवानदीन पासी नि0 चित्ताखेडा मजरा पारा थाना मौरावां जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों उपरोक्त के कब्जे कुल 25 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब तथा 250 ग्राम यूरिया बरामद हुई।

पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री जय नारायण मिश्रा
2. उ0नि0 श्री बनवारी लाल
3. हेड का0 फूल चन्द्र सरोज
4. हेड का0 कन्हैया सिंह
5. का0 अनुरुद्ध यादव